

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प.11(3)मंमं/2013

जयपुर, दिनांक: 21. दिसम्बर, 2013

--:विज्ञप्ति :-

शासन कार्य नियमावली के नियम-5 के अनुसरण में राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने, मुख्यमंत्री के परामर्श से, विभागों का वितरण करते हुये प्रत्येक मंत्री को उनके नाम नीचे अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है:-

1. श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री

- (i) कार्मिक विभाग।
- (ii) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग।
- (iv) सम्पदा विभाग।
- (v) गृह एवं न्याय विभाग।
- (vi) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो।
- (vii) गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
- (viii) कारागृह विभाग।
- (ix) वित्त विभाग।
- (x) उद्योग विभाग।
- (xi) राजस्व विभाग।
- (xii) उपनिवेशन विभाग।
- (xiii) देवस्थान विभाग।
- (xiv) वक्फ विभाग।
- (xv) सैनिक कल्याण विभाग।
- (xvi) वन विभाग।
- (xvii) आबकारी विभाग।
- (xviii) कराधान विभाग।
- (xix) नगरीय विकास विभाग।
- (xx) श्रम विभाग।
- (xxi) नियोजन विभाग।
- (xxii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग।
- (xxiii) कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग।
- (xxiv) कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग।
- (xxv) विधिक एवं विधिक कार्य विभाग एवं विधि परामर्शी कार्यालय।
- (xxvi) आयोजना विभाग।
- (xxvii) आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
- (xxviii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
- (xxix) निर्वाचन विभाग।
- (xxx) मंत्रिमण्डल सचिवालय।
- (xxxii) सांख्यिकी विभाग।
- (xxxiii) राजकीय उपक्रम विभाग।

- (xxxiii) भाषा विभाग।
- (xxxiv) जन अभियोग निराकरण विभाग।
- (xxxv) पर्यटन विभाग।
- (xxxvi) पर्यावरण विभाग।
- (xxxvii) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
- (xxxviii) महिला एवं बाल विकास विभाग।
- (xxxix) युवा मामले एवं खेल विभाग।
- (xl) परिवहन विभाग।
- (xli) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- (xlii) नीति निर्धारण प्रकोष्ठ-मुख्यमंत्री सचिवालय।
- (xliii) राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग।
- (xliv) नागरिक उड्डयन विभाग।
- (xlv) अप्रवासी भारतीय विभाग।
- (xlvi) अल्पसंख्यक मामलात विभाग।

2. श्री गुलाब चन्द कटारिया, मंत्री

- (i) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- (ii) आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग।

3. श्री नन्द लाल मीणा, मंत्री

- (i) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।

4. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, मंत्री

- (i) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- (ii) आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
- (iii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग।
- (iv) संसदीय मामलात विभाग।

5. श्री कालीचरण सर्राफ, मंत्री

- (i) शिक्षा विभाग (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
- (ii) तकनीकी शिक्षा विभाग।

6. श्री कैलाश मेघवाल, मंत्री

- (i) खान विभाग।

7. श्री सांवर लाल जाट, मंत्री

- (i) जल संसाधन विभाग।
- (ii) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग।
- (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
- (iv) भू-जल विभाग।
- (v) कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग।

8. श्री प्रभू लाल सैनी, मंत्री  
 (i) कृषि विभाग (कृषि विपणन सहित)  
 (ii) पशुपालन विभाग।  
 (iii) मत्स्य विभाग।  
 (iv) डेयरी विभाग।
9. श्री गजेन्द्र सिंह खिंवर, मंत्री  
 (i) ऊर्जा विभाग।
10. श्री यूनूस खान, मंत्री  
 (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग।
11. श्री अरूण चतुर्वेदी, राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)  
 (i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
12. श्री अजय सिंह, राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)  
 (i) सहकारिता विभाग।
13. श्री हेम सिंह भड़ाना, राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)  
 (i) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।  
 (ii) उपभोक्ता मामले विभाग।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवितरित विभागों का कार्य मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

राज्यपाल के आदेश से,


वे-

(राकेश श्रीवास्तव)  
 अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।
9. समस्त विभागाध्यक्षगण।
10. प्रमुख निजी सचिव, मुख्यमंत्री
11. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।

12. सचिवालय के समस्त विभाग एवं शाखायें।
13. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के दिनांक 21.12.2013 के विशेषांक में प्रकाशनार्थ। विशेषांक की 50 प्रतियां शीघ्र भिजवायी जावे।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान।
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।

  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

  
शासन उप सचिव